

37

संख्या: 12/6/17  
दिनांक: 12/6/17  
नर्सिवाली

डिक्री बमुकदमें ईब्दादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-143/2017

1 सिकन्दर आजम पुत्र शमशाद अली जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील  
टिब्बी जिला हनुमानगढ।  
- वादी

बनाम

- |                              |                    |   |
|------------------------------|--------------------|---|
| 1. अमजद अली पुत्र शमशाद अली  | } पुत्रीय शमशादअली | } जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील<br>टिब्बी जिला हनुमानगढ। |
| 2. अनवर बैगम पत्नी शमशाद अली |                    |   |
| 3. नजमा बेगम                 |                    |   |
| 4. सलमा बेगम                 |                    |   |
| 5. रूखासाना बेगम             |                    |   |

- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर प्रसाद वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि पक्षकारान के पिता पति के शमशाद अली के नाम से चक 11 सीडीआर के खाता स0 141 संवत 2070 ता 73 में कुल 1.150 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 11 सीडीआर के खाता स0 141 में अंकित कुल भूमि में प्रतिवादी स0 2 अनवर बेगम 0.253 है0 आराजी तथा शेष 0.897 है0 आराजी का वादी व प्रतिवादी स0 1 ब0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चक 11 सीडीआर के खाता स0 141 में से शमशाद अली का नाम कलमजन किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। बैंक का ऋण होने पर बैंक रहन की एनओसी प्राप्त होने पर ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....12/6/17..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प मे आज दिनांक.....12/6/17.....को जारी किया गया।

(उम्मेदसिंह रतनू)  
उपखण्ड अधिकारी (सहायक)  
सहायक कलक्टर एवं  
टिब्बी  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी